

संपादकीय

पच्चीस हजार का वादा अस्सी हजार का बोझ अठारह साल में पांच बार बदले नियम, पर नहीं बदली नीयत

सरकार ने बारहवीं के मेधावी बच्चों को लैपटॉप के लिए पच्चीस हजार रुपये देना शुरू किया तो मकसद नेक था। गांव के गरीब घर का बच्चा भी तकनीक की दौड़ में पिछड़े नहीं, लेकिन अठारह साल में योजना के नाम और नियम बदल गए, पर पच्चीस हजार का आंकड़ा वहीं का वहीं टिका रहा।

बाजार में तकनीक महंगी हो गई, पढ़ाई का तरीका बदल गया, लेकिन शिक्षा विभाग की फाइल में आज भी 2009 वाला हिसाब चल रहा है। सरकारी आदेश कहता है कि पच्चीस हजार में लैपटॉप खरीद लो, बाजार कहता है कि इतनी रकम में जरूरत के मुताबिक मशीन मिलना मुश्किल है। तकनीकी पढ़ाई के लिए आठ जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाला लैपटॉप चाहिए, जिसकी कीमत चालीस से पचास हजार रुपये हैं। सोलह जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल साठ हजार से शुरू होकर नब्बे-पचास हजार रुपये तक जाता है। यह फायदा कौन भरेगा, छात्र या उसका किसान पिता? इस साल प्रदेश के एक लाख बाईस हजार विद्यार्थियों के खातों में तीन सौ चार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई। हर बच्चे को पच्चीस हजार रुपये मिले, फोटो खिंची, अखबार में नाम छपा, लेकिन घर पहुंचकर पता चला कि इस पैसे से जरूरत के मुताबिक लैपटॉप खरीदना मुश्किल है। कई परिवारों ने अठहरत हजार रुपये तक खर्च किए, कई ने सेकंड हैंड लैपटॉप से काम चलाया, तो कई ने ब्याज पर पैसा उठाया। सम्मान योजना के नाम पर परिवारों पर कर्ज चढ़ गया। यह कैसी प्रोत्साहन योजना है, जो परेशानी बढ़ा दे?

मोबाइल फोन और लैपटॉप के मॉडल लगातार बदल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास, प्रोग्रामिंग, डिजाइन और रिसर्च के लिए लैपटॉप जरूरी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने बाजार का सर्वे नहीं किया। किसी विक्रेता से नहीं पूछा कि पच्चीस हजार में क्या मिलता है और किसी छात्र से नहीं पूछा कि उसे किस मशीन की जरूरत है। पैसा ट्रांसफर हुआ और योजना पूरी मान ली गई। यही सरकारी कामकाज का सबसे बड़ा रोग है।

आज एआई का युग है। छात्रों को तेज प्रोसेसर, ग्राफिक्स और ज्यादा रैम की जरूरत पड़ सकती है। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के लिए अच्छी मशीन आवश्यक है। हर विद्यार्थी के लिए एक जैसा प्रोसेसर जरूरी नहीं, लेकिन न्यूनतम मानक तय होने चाहिए। सरकार हर छात्र को एक ही तराजू में तौल रही है, चाहे वह आर्ट्स पढ़े या कंप्यूटर साइंस। यह बैलगाड़ी की रफ्तार से रिकेट युग की पढ़ाई कराने जैसा है। विभाग ने कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, तकनीकी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों का अंतर नहीं समझा और छात्रों से फीडबैक भी नहीं लिया। थोक खरीद से सस्ते और बेहतर लैपटॉप उपलब्ध कराए जा सकते थे।

सरकार को राशि पच्चीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपये करनी चाहिए। तकनीकी पाठ्यक्रमों, जैसे बोटिंग, बीसीए और डिजाइन के छात्रों के लिए अलग स्लैब बनाकर साठ हजार रुपये तक का प्रावधान किया जाए। सीधे कंपनियों से थोक खरीद हो और हर दो साल में राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मेधावी छात्र को लैपटॉप देना सम्मान है, लेकिन अधूरी राशि देकर उसे बाजार में भटकने के लिए छोड़ देना अपमान है। सरकार यदि चाहती है कि गतिवा का बच्चा भी इंजीनियर, डिजाइनर और प्रोग्रामर बने, तो उसे मशीन की जरूरत भी समझनी होगी। पच्चीस हजार का आंकड़ा अब केवल फाइल की शोभा है, छात्र की जरूरत नहीं। यही रकैया रहा तो योजना चलती रहेगी, लेकिन उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा और हजारों सपनों पर भारी पड़ेगी विभाग की यह लापरवाही।

आजकल

58 साल बाद जेल मैनुअल में बदलाव, सुधार की नई सोच

पुराने नियमों की जकड़न से मुक्ति की तैयारी

मध्यप्रदेश की जेलों में 58 साल पुराने जेल मैनुअल की जगह नया मैनुअल लागू करने की तैयारी है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे साल के अंत तक लागू किया जा सकता है। यह बदलाव केवल किताबी नहीं, बल्कि जेल व्यवस्था की सोच में परिवर्तन का संकेत है। जेल को अब सिर्फ सजा देने की जगह नहीं, बल्कि बंदियों के सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर है।

नए ड्राफ्ट में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रावधान किया गया है कि परिवार में देखभाल करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं होने पर पात्र बंदी को एक तिहाई सजा पूरी करने के बाद अस्थायी रिहाई मिल सकेगी। चौदह दिन की फरलों और आपातकालीन परिस्थितियों में 48 घंटे की पैरोल का प्रावधान भी किया गया है। आपातकालीन पैरोल के दौरान सुरक्षामर्मी तैनात रहेंगे। महिला कैदियों की तरह पुरुष बंदियों को भी छह साल तक के बच्चों को साथ रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, बशर्ते बाहर उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो। इससे बच्चों के हितों की रक्षा और माता-पिता के साथ उनके भावनात्मक संबंध बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आदतन अपराधी की परिभाषा स्पष्ट करने के साथ विवादाधीन बंदियों को कानूनी सहायता और थर्ड जेंडर बंदियों के लिए अलग बैरक, सुरक्षा तथा मेडिकल जांच की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है।

सजा पूरी करने के करीब पहुंचे बंदियों को उनकी रूचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है। आपटर केयर सर्विस और खुली जेल की व्यवस्था का विस्तार रिहाई के बाद रोजगार और सामाजिक पुनर्वास के अवसर बढ़ा सकता है।हालांकि, सुधार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पैरोल और फरलों की पात्रता, निगरानी तथा नियमों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। 58 साल बाद जेल मैनुअल में बदलाव का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब बंदियों को सम्मानजनक जीवन की ओर लौटने का अवसर मिले। नया मैनुअल ईमानदारी से लागू हुआ तो जेलें केवल सजा कानून की जगह नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास के केंद्र बन सकती हैं। यही न्याय की सार्थकता है।

हर गली में दहशत, हर दिन 120 शिकार : सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के लिए जिम्मेदार कौन ?

भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक अब गंभीर जन संकट बन चुका है। शहर में रोजाना 120 से अधिक लोग कुत्तों के काटने के शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। शाहजहांनाबाद, कोलार, गौतम नगर, अयोध्या बायपास और बागसेवनिया जैसे इलाके हॉस्पेटल बन गए हैं, जहां बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर झुंड में हमले हो रहे हैं। वार्ड नौ में आठ कुत्तों के झुंड ने 25 वर्षीय महिला को छाती को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जबकि लाल मस्जिद रोड पर 14 वर्षीय किशोर पर हुए हमले ने शहर को झकझोर दिया।

इसके बावजूद नसबंदी और नियंत्रण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने नसबंदी के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट तय किया है। प्रति कुत्ता औसतन 1,050 रुपये खर्च दिखाया जा रहा है। जुलाई में 1,929, अगस्त में 2,074 और सितंबर में 2,042 कुत्तों की नसबंदी के आंकड़े सामने आए हैं। इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या और हमलों में कमी नहीं दिख रही। सवाल है कि बजट का उपयोग कितना प्रभावी है और जवाबदेही किसकी है? एनिमल बर्थ कंट्रोल

नईदुनिया

चुनाव आयोग के विरोध से आगे बढ़कर रिजीम चेंज तक

दुनिया के कई देशों में इस समय उग्र आंदोलनों का दौर चल रहा है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन तक की नौबत आ गई। फ्रांस और यूरोप के कुछ देशों में भी जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इन आंदोलनों की प्रकृति अलग-अलग है, लेकिन एक समानता यह है कि ये मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष से पैदा हुए हैं।

भारत में इस समय आंदोलनकारी एक तरह से छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन सरकार के विरोध में लंबी योजना पहले से घोषित की गई है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का काम सरकार का विरोध करना भी है। यह विरोध लोकतंत्र को जीवंत बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए।

बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में आंदोलनों के जरिए रिजीम चेंज का जो नारा लगा, वही नारा अब भारत में भी गूंजने लगा है। यह नारा केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बलपूर्वक तख्तापलट का संकेत देता है। राजनीतिक दल सरकार का विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी छात्र संगठन और सिविल सोसाइटी जैसे समूह भी राजनीतिक दलों के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

आईशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और सुप्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज संबंधी बयानों ने आंदोलन की दिशा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नेहा बोरा बांग्लादेश के तख्तापलट आंदोलन से प्रेरणा लेने की बात कर रही हैं, तो प्रशांत भूषण इस आंदोलन का उद्देश्य सीधे रिजीम चेंज बता रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन केवल चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ है या इसके पीछे व्यापक राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य भी है।

भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे आंदोलन को अराजकता फैलाने वाला बताती रही है। अब जब इसमें रिजीम चेंज का नारा शामिल हो गया है, तो भाजपा को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है। सरकारों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा

डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए वैश्विक मोर्चाबंदी

ऑस्ट्रेलिया की पहल क्यों महत्वपूर्ण है

बच्चों को सोशल मीडिया और एआई चैटबॉट के खतरों से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया के देशों को एकजुट कर गठबंधन बनाने जा रहा है। यह केवल एक देश की नीति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि तकनीक बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री एनिका वेल्स ने बताया है कि मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन समेत कई देशों से चर्चा हो चुकी है। जल्द ही अन्य देशों से भी चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव के तहत सभी देश ऑनलाइन सुरक्षा के न्यूनतम साझा मानक तय करेंगे और कंपनियों को उनका पालन करने के लिए बाध्य करेंगे।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक हर देश अपने स्तर पर कानून बनाता रहा है, जबकि तकनीक कंपनियां वैश्विक हैं और उनका प्रभाव सीमाओं से परे है। ऐसे में किसी एक देश का कानून पर्याप्त नहीं है। वैश्विक गठबंधन ही इस चुनौती का व्यापक समाधान दे सकता है।

आज का बच्चा जन्मा से ही डिजिटल दुनिया में है। उसके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में पूरी दुनिया। लेकिन इसी दुनिया में कई अदृश्य खतरे भी हैं। हिंसा और अश्लील सामग्री बच्चों की मानसिक उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त है। साइबर बुलीइंग के तहत बच्चे एक-दूसरे को ऑनलाइन परेशान करते हैं, धमकाते हैं और अपमानित करते हैं। इससे उन्में अवसाद और आत्महत्या तक की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। एआई तकनीक से बच्चों की तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग भी संभव हो गया है। वहीं, अकेलेपन में एआई चैटबॉट से बातचीत करने वाले बच्चों को कई बार गलत सलाह मिलने का खतरा रहता है। सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय करना इसलिए जरूरी है। मेटा, गूगल और टिकटॉक जैसी कंपनियां अब तक यह तर्क देती रही हैं कि वे केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं और सामग्री की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की है। लेकिन यह तर्क अब पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया, एआई चैटबॉट, ऑनलाइन गेम और अन्य तकनीकी कंपनियों को अपने उत्पादों में ही सुरक्षा उपाय शामिल करने होंगे। उन्हें हर साल जॉखिम का आकलन कर खतरों को कम करने के उपाय अपनाने होंगे।

ऑस्ट्रेलिया सरकार प्रस्तावित कानून को 2026 के अंत तक संसद से पारित कराना चाहती है। उल्लंघन पर कंपनियों को 726 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता न करने का कड़ा संदेश है। इससे अन्य देशों में भी कंपनियों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ सकता है।

प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू कंटेंट सुझाने वाले

आंदोलन लोकतंत्र की कसौटी है, तख्तापलट का औजार नहीं



निरस्त किए जाने के बाद आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन भी सड़कों पर चला था। अन्ना आंदोलन भी सत्ता परिवर्तन का कारण बना था। हालांकि, इन आंदोलनों की परिस्थितियां और उद्देश्य अलग-अलग थे।

चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों को लेकर चल रहे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित की जाए। जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा विजयी घोषित किए जाते हैं, वे कुछ राज्यों में सरकार चलाते हैं, लेकिन जहां हारते हैं, वहां वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। यह दोहरा मापदंड जनता के मन में सवाल पैदा करता है। हालांकि, चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की जांच तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही होनी चाहिए।

लोकतंत्र के असली मालिक मतदाता हैं। राजनीतिक बयान, भाषण और आंदोलन जनमत को

प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका अंतिम निर्णय चुनाव में होता है। रिजीम चेंज केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था और उसकी विचारधारा में व्यापक बदलाव का विचार भी है। भारत में सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक रास्ता चुनाव ही रहा है।

भाजपा को हिंदुत्व की विचारधारा वाली दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है, जबकि कांग्रेस की राजनीति का आधार अलग रहा है। विचारधाराओं के बीच संघर्ष लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। सरकार की नीतियों और विचारधारा की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आलोचना और असहमति को हिंसक टकराव में बदलना उचित नहीं है।

जहां तक जनாदेश का सवाल है, भाजपा भी चुनावों में उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत

एआई के दौर में भी गहरी समझ का आधार है हस्तलिखित अभ्यास

तकनीक की तेज रफ्तार, समझ की धीमी गति

आज हर विद्यार्थी के हाथ में एक ऐसा उपकरण है, जो सेकंडों में उत्तर दे देता है। प्रश्न पूछते ही लंबा लेख तैयार हो जाता है, निबंध बन जाता है और कठिन से कठिन सिद्धांत सरल भाषा में सामने आ जाता है। इस सुविधा ने पढ़ाई को आसान तो बनाया है, लेकिन एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आसान होना ही सीखना है?

दुनिया भर में हुए हालिया सर्वेक्षणों में छात्र स्वयं कह रहे हैं कि एआई से काम तेजी से होता है, लेकिन विषय पर पकड़ कमजोर हो सकती है। तेजी से उत्तर मिलना और विषय को गहराई से आत्मसात करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। एआई हमें सूचना देता है, ज्ञान नहीं। सूचना बाहर से आती है, ज्ञान भीतर बनता है। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, उस पर सोचते हैं और अपने शब्दों में लिखते हैं, तब वह हमारे चिंतन का हिस्सा बनता है। एआई का उत्तर पढ़ने से हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन वह समझ उधार की होती है। परीक्षा कक्ष में जब बिना एआई के लिखना होता है, तब वही उधार की समझ कमजोर पड़ सकती है।

नोट्स बनाना इसी आंतरिक प्रक्रिया का नाम है। नोट्स में हम केवल तथ्य नहीं लिखते, बल्कि उनके बीच संबंध खोजते हैं। क्या महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण, यह तय करते हैं और विषय को अपनी भाषा में ढालते हैं।

मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार, हाथ से लिखते समय मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं। आंख देखती है, हाथ चलता है और दिमाग जानकारी का चयन करता है। यह सक्रियता याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके विपरीत, एआई से सामग्री लेकर सीधे कॉपी-पेस्ट करने पर विषय को समझने और अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का अभ्यास कम हो सकता है।

एक अच्छा नोट कभी भी किताब की नकल नहीं होता। वह विद्यार्थी के अपने संदेह, जिज्ञासा और समझ का दस्तावेज होता है। उसमें कहीं प्रश्नचिह्न होता है, कहीं तीर का निशान और कहीं ऐसा उदाहरण, जो केवल उसी छात्र को समझ आता है। एआई का उत्तर सामान्य होता है, जबकि व्यक्तिगत नोट्स विद्यार्थी की अपनी सोच को दर्शाते हैं।

यदि हर छोटे काम के लिए एआई का सहारा लिया जाएगा, तो धीरे-धीरे मौलिक चिंतन की आदत कमजोर पड़ सकती है। सोचने की प्रक्रिया में होने वाला संघर्ष और उलझन ही बुद्धिमत्ता को विकसित करते हैं। बिना प्रयास के मिली समझ

जीतती है, जिसके तहत पहले कांग्रेस सत्ता में आती रही। चुनाव में अधिक मत और सीटें हासिल करने वाली पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। जनादेश की वैधता का निर्धारण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, न कि सड़कों पर लगाए गए नारों से।

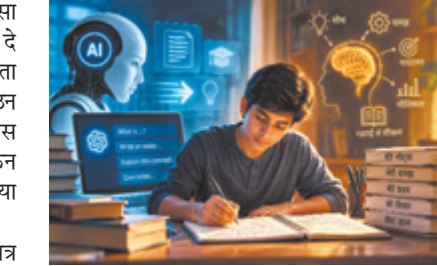
सरकार की विचारधारा के खिलाफ वातावरण बनना स्वाभाविक है। भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा को धार्मिक कट्टरता के रूप में भी देखा जाता है, हालांकि सरकार की नीतियों का मूल्यांकन उनके वास्तविक क्रियाव्ययन के आधार पर होना चाहिए। विास और कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र नागरिकों तक लाभ पहुंचाना होना चाहिए, न कि किसी खास समुदाय को प्राथमिकता देना। विचारधाराओं का टकराव वैचारिक स्तर पर रहे, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।

निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक व्यवस्थित मंच उपलब्ध कराता है। इसी तरह संसदीय व्यवस्था में चुनाव जनादेश के अदास-प्रदान का माध्यम हैं। हर पांच साल में मतदाता अपने विवेक से सरकार चुनते हैं। यही भारत में सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक तरीका है।

सरकार और विपक्ष, दोनों की गतिविधियों पर मतदाताओं की नजर रहती है। आंदोलनों से जनता को सरकार की कार्यप्रणाली, विकास, नेतृत्व और नीतियों का आकलन करने का अवसर मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता अपने विवेक से विभिन्न पक्षों को परखती है और चुनाव में अपना निर्णय सुनाती है।

न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भरोसा संसदीय व्यवस्था की बुनियाद है। किसी भी चुनावी विवाद का समाधान प्रमाणों, जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। आंदोलन समाधान के लिए हो, तख्तापलट के लिए नहीं। आंदोलन सरकार को सुधारने का माध्यम बने, व्यवस्था को गिराने का औजार नहीं। भारत का लोकतंत्र परिपक्व है। यहां सत्ता परिवर्तन का संवैधानिक रास्ता वोट है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



सतही रह सकती है। भविष्य में कार्यस्थल पर ऐसी समस्याएं भी आएंगी, जिनका तैयार उत्तर एआई के पास नहीं होगा। वहां स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता ही काम आएगी।

भारतीय शिक्षा परंपरा में सुनने, मनन करने और लिखने को महत्व दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल तथ्य याद करने से नहीं, बल्कि अवधारणाओं को गहराई से समझने से मिलती है। एआई तथ्य उपलब्ध करा सकता है, लेकिन उन्हें समझना और आत्मसात करना विद्यार्थी का अपना काम है।

इसका अर्थ एआई का बहिष्कार करना नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ जानने, किसी विषय की रूपरेखा समझने और अपने लिखे नोट्स की जांच करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन एआई को लेखक नहीं बनाना चाहिए। एआई को सहायक की तरह उपयोग करना चाहिए, अपने चिंतन का विकल्प नहीं बनाना चाहिए।

शिक्षकों को मूल्यांकन में केवल सही या गलत उत्तर देखने के बजाय यह भी समझना चाहिए कि विद्यार्थी उत्तर तक कैसे पहुंचे। कक्षा में नोट्स बनाने की कला सिखाई जानी चाहिए। परिवारों को भी बच्चों को हर समस्या का तत्काल उत्तर एआई से खोजने के बजाय पहले स्वयं प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

डिजिटल नोट्स भी उपयोगी हैं, क्योंकि उन्हें व्यवस्थित करना और खोजना आसान होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि नोट कागज पर है या टैबलेट पर, बल्कि यह है कि वह विद्यार्थी के अपने शब्दों और समझ से तैयार हुआ है या नहीं। तकनीक साधन है, साध्य नहीं। सीखने का उद्देश्य समझ विकसित करना है और समझ का मार्ग अभ्यास से होकर गुजरता है। नोट्स विद्यार्थी को सूचना का उपभोक्ता नहीं, ज्ञान का निर्माता बनाते हैं। एआई सूचना का भंडार हो सकता है, लेकिन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए स्वयं का परिश्रम अनिवार्य है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालते रहते हैं, जबकि आम नागरिक हमलों का शिकार हो रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में कुत्तों के व्यवहार में संभावित बदलाव को देखते हुए भी विशेष अभियान और अतिरिक्त टीमों की जरूरत है। नसबंदी के आंकड़ों, खर्च और काम की गुणवत्ता का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। समाधान के लिए नौ एबीसी सेंटरों की व्यवस्था शीघ्र पूरी की जाए। हर केंद्र में पर्याप्त पशु चिकित्सक, प्रशिक्षित कर्मचारी और दवाइयां उपलब्ध हों। हॉटस्पॉट क्षेत्रों, स्कूलों, बस स्टॉप और बाजारों के आसपास विशेष टीमों तैनात की जाएं। नसबंदी के आंकड़े, खर्च और कार्यवाही की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी तय हो। आवारा कुत्तों का मुद्दा कुत्ता प्रेम या कुत्ता विरोध का नहीं, बल्कि जन सुरक्षा का है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि रोज 120 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। नगर निगम को कागजी आंकड़ों से आगे बढ़कर प्रभावी, वैधानिक और मानवीय प्रबंधन लागू करना होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

रुल्स, 2023 के मानकों के अनुसार, 85 वार्ड वाले भोपाल में कम से कम नौ एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होने चाहिए। लेकिन अरबलिया, कजलीखेड़ा और आदमपुर छावनी में केवल तीन सेंटर संचालित हैं। भानपुर में चौथा सेंटर पांच महीने से निर्माणाधीन है, जबकि कोलार रोड पर प्रस्तावित डोंग शेल्टर का काम शुरू नहीं हो सका है। पांच हजार वर्ग फीट के सेंटर के लिए 29 लाख रुपये का टेंडर भी कागजों में अटका है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लागू नियमों के तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें सामान्यतः उसी क्षेत्र में वापस छोड़ने का प्रावधान है। वहीं, नियमों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में कुत्तों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की व्यवस्था भी जरूरी है। ऐसे में पर्याप्त सुविधाओं और प्रभावी निगरानी के बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है। प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा कारण जवाबदेही का अभाव दिखाई देता है। नगर निगम और

इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने नसबंदी के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट तय किया है। प्रति कुत्ता औसतन 1,050 रुपये खर्च दिखाया जा रहा है। जुलाई में 1,929, अगस्त में 2,074 और सितंबर में 2,042 कुत्तों की नसबंदी के आंकड़े सामने आए हैं। इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या और हमलों में कमी नहीं दिख रही। सवाल है कि बजट का उपयोग कितना प्रभावी है और जवाबदेही किसकी है? एनिमल बर्थ कंट्रोल